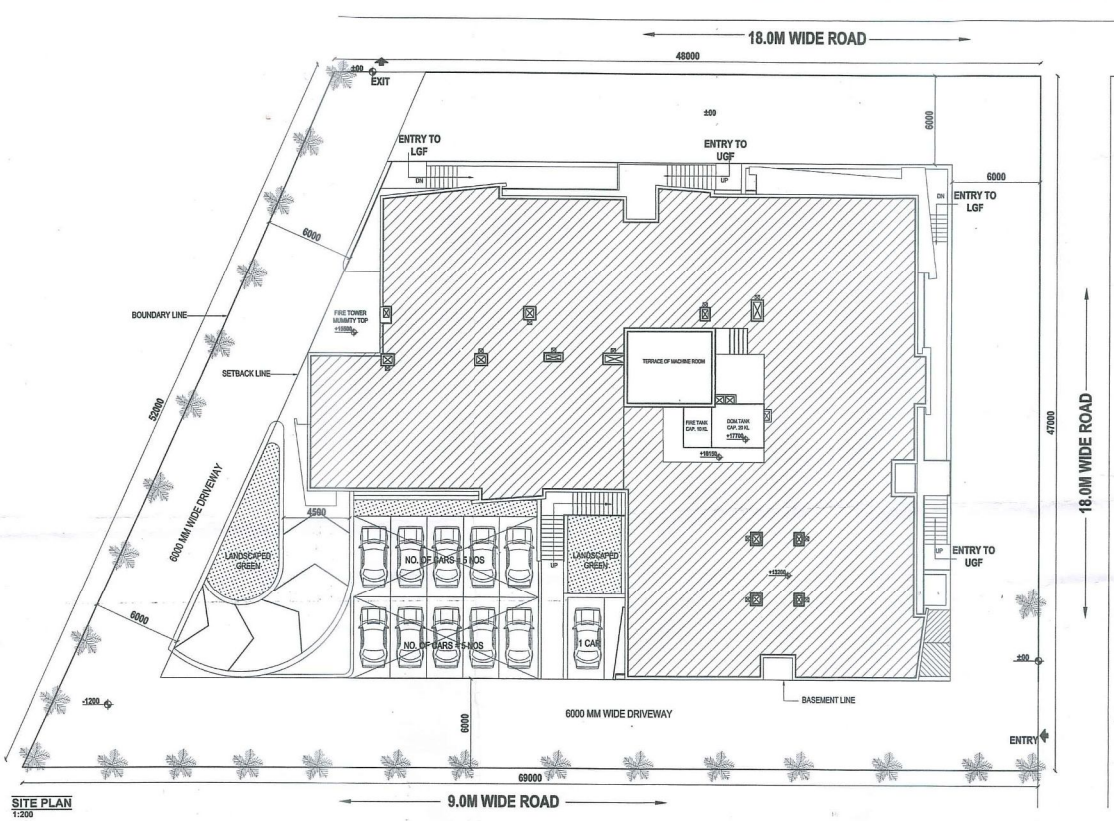

SITE PLAN
1:200

	AREA CHART		
SL.NO.	Particular	Area(in sq.mt.)	(in hac.)
1	PLOT AREA	2757.11	0.28
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE @50% OF PLOT AREA	1378.56	0.14
3	ACHIEVED GROUND COVERAGE (39.38%)	1085.8	
4	PERMISSIBLE F.A.R. (1.75)	4824.94	0.48
5	**TOTAL FAR AREA (1.49)**	**4129.4**	**0.41**
	PARKING CALCULATIONS:-		
6	TOTAL CARS REQUIRED@2ECS/100SQ.MT.	83	
7	**PARKING PROVIDED**		
	SURFACE	11	
	BASEMENT	72	
8	**TOTAL PARKING PROVIDED**	**83**	
9	LANDSCAPE GREEN AREA PROVIDED	144.6	

Area Calculations for Commercial Building

Areas in Sq.mt.

	Use	Ground Coverage	Area for F.A.R.	Mumty and machine room	Fire escape	Area not in F.A.R.	AREA FOR FEES
Basement	Parking					1721.9	1721.9
Lower Ground Floor	Shops		938.5		20.12		958.6
Upper Ground Floor	Shops	1085.8	1085.8		20.12		1105.9
1st Floor	Office		1062.7		20.12		1082.8
2nd Floor	Office		1042.4		20.12		1062.5
Terrace				62.33			62.3
Total Areas		1085.8	4129.4		80.48		5994.1

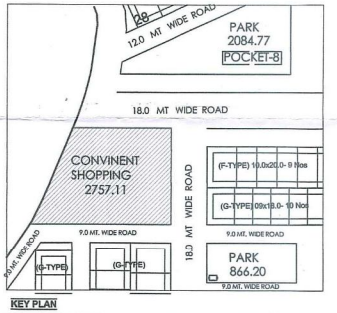

KEY PLAN

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH N

PROJECT

PROPOSED CONVENIENT SHOPPING CENTRE SECTOR -J, SUSHANT GOLF CITY, HI-TECH TOWNSHIP, LUCKNOW

NOTES

1. ALL DIM. ARE IN MM.
2. ALL FIRE CHECK DOORS ARE OF 2H RATING.

पत्र सं0 प-2062/2014/44901/LKO/LUC(NOU)/2661/DD
दिनांक 6/11/14 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

उप निदेशक, फा0 स0
लखनऊ

VIRESH KUMAR
Architect
Regd. No. : CA/2005/35401

(आर0 पी0 राय)
अग्नि शमन अधिकारी
एल0डी0ए0, लखनऊ

प्रतिबन्ध

1. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2. शासनादेश के अनुसार प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजायन के अनुरूप स्थल पर भी भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
4. लैण्ड स्कोपिंग प्लान व सर्विसेज़ प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. बेसमेंट व अन्य पार्किंग स्थल का उपयोग मात्र पार्किंग हेतु ही अनुमन्य होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. लेबर एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा।
10. स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत समयसीमा सुनाकाल लगाना होगा।
12. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
13. अपार्टमेंट एक्ट–2010 का अनुपालन करना होगा।
14. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विवादक सम्बन्धित के लिए विवाद कारक नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 37529
दिनांक 12-01-2015
स्वीकृत का अवधि दि. 11-01-2020
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

Er. S. P. Singh
M. Tech. (Structure)
Structural Consultant
2/403, Viram Khand
Gomti Nagar, Lucknow
Regd. No.

SUBMISSION DRAWING

DRAWING TITLE

SITE PLAN

DEALT BY	CHECKED BY
GEETA	RAJENDRA
SCALE	**DATE**
as mentioned	AUGUST.-2014

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा समय शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT

STUDIO FOR COLLABORATIVE DESIGN

Architect
Studio for Collaborative Design
2-116, Greater Kailash – II, New Delhi – 110048

CONSULTANT

REPL
RUDRASHISHEK ENTERPRISES PVT. LTD.
TOWN & COUNTRY PLANNERS, ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS,SURVEY CIVIL
SERVICES DESIGNERS.
GROUND FLOOR, YUVA BHAWAN,YMCA COMPLEX, 13 RANA PRATAP MARG LUCKNOW.
CALL - 0522-2202102

CLIENT/ OWNERS

ANSAL AP
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
115, ANSAL BHWAN,
16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001.

ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
Y.M.C.A. Building Floor, Y.M.C.A. Building
Kapoor Marg, Lucknow - 226001

DRAWING NUMBER - COM/SEC-J/HI-TECH/LKO/SUB-01/7

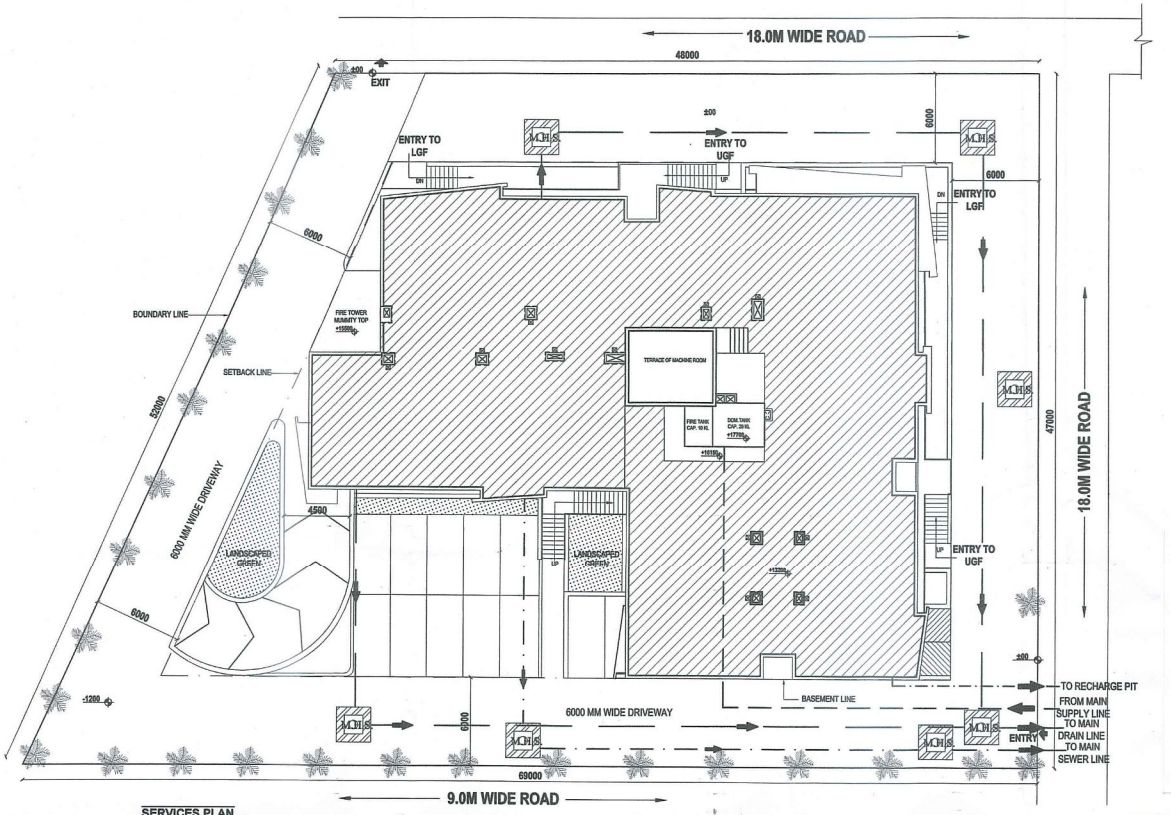

SERVICES PLAN
1:200

LEGEND	
— · —	RWP
———	DRAINAGE LINE
——→	SEWER LINE
— —	WATER SUPPLY LINE
M.H	MANHOLE

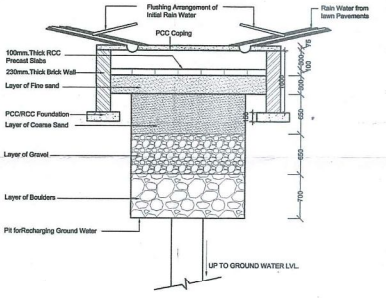

RAIN WATER HARVESTING

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

PROJECT

PROPOSED CONVENIENT CENTRE SECTOR -J, SUSH CITY, HI-TECH TOWNSHIP

NOTES

1. ALL DIM. ARE IN MM.
2. ALL FIRE CHECK DOORS ARE OF

पत्र सं0 प-2062/2014/44901
LUCKNOW/2014/666/DD
दिनाँक 6/11/14 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।

उप निदेशक, फा0 स0
लखनऊ

(आर0 पी0 स
अग्नि शमन अधि
एस0डी0वी0ए0
स्थानक

VIRESH KUMAR
Architect
Regd. No. : CA/2005/35401

प्रतिबन्ध

1. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की को भूमि पर निकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में
2. शासनादेश के अनुसार प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजायन के अ पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कीपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारो
4. लैण्ड स्कीपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विका
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. बेसमेंट व अन्य पार्किंग स्थल का उपयोग मात्र पार्किंग हेतु ही अनुम
8. रैनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का स्थल पर अ
9. लेबर एक्ट व नेशनल बैल्डी कोड का अनुपालन करना होगा।
10. स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट लगाना होगा।
12. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने पर अ
13. अपार्टमेंट एक्ट–2010 का अनुपालन करना होगा।
14. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विवेचना बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
संख्या 3752 9
12-01-2015
स्वीकृत की तिथि 11-01-2020
15/01/15

Er. S.P. Singh
M. Tech. (Structure)
Structural Consultant
2/403, Viram Khand
Gomti Nagar, Lucknow

SUBMISSION DR

DRAWING TITLE

SERVICES

DEALT BY	CHECKE
GEETA	
SCALE	DATE
as mentioned	

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार

ARCHITECT

STUDIO COLLABORATIVE DESIGN

Architect
Studio Collaborative Design
S-113, Greater Kailash – II, New Delhi – 110048

CONSULTANT

REPL
RUDRABHISHEK ENTERPRISES PVT. LTD.
TOWN & COUNTRY PLANNERS, ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS,SURVEY CIVIL SERVICES DESIGNERS.
GROUND FLOOR, YUVA BHAWAN,YMCA COMPLEX, 13-RANA PRATAP MARG LUCKNOW.
CELL -09335 228108

CLI

ANSAL PROPE

ARCHITECT'S SIGNATURE

DRAWING NUMBER - COM/SEC-J/HI-T